संख्या-७५३ /1-11-2016-7(जी)/2015 टी0सी0

प्रेषक

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
इलाहाबाद, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर नगर, संतकबीरनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ, उन्नाव, बलरामपुर, अम्बेडकरनगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज ।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2016

विषयः–वर्ष 2015 में अवर्षण के कारण सूखाग्रस्त जनपदों में नहरों की कटिंग को बन्द करने, बन्धों को हटवाने व अतिरिक्त सिल्ट सफाई तथा सघन पेट्रोलिंग एवं सूखे से निपटने हेतु राजकीय नलकूपों व लिफ्ट कैनालों के सुदृढ़ीकरण हेतु जनपदों को राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में कियान्वयन हेतु नहरों की कटिंग को बन्द करने, बन्धों को हटवाने व अतिरिक्त सिल्ट सफाई तथा सघन पेट्रोलिंग मद में रू0 31.4503 करोड़ एवं सूखे से निपटने हेतु राजकीय नलकूपों व लिफ्ट कैनालों के सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 10.00 करोड़ अर्थात कुल समग्र धनराशि **रू0 41,45,03,000 /– (रूपये इक्तालीस करोड़ पैतालीस लाख तीन हजार मात्र)** की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(नहरों में काटिंग को बन्द करने, बन्धों को हटवाने व अतिरिक्त सिल्ट सफाई तथा सघन पेट्रोलिंग हेतु)

क0सं0	जनपद	धनराशि (लाख में)
1	इलाहाबाद	426.60
2	फतेहपुर	242.94
3	चित्रकूट	50.00
4	बांदा	120.00
5	हमीरपुर	35.00
6	महोबा	39.00
7	झांसी	277.99
8	जालौन	100.00
9	ललितपुर	130.00
10	कानुपर नगर	250.00
11	संतकबीरनगर	100.00
12	मिर्जापुर	391.76
13	सोनभद्र	194.52

14	मऊ	178.55
15	उन्नाव	224.95
16	बलरामपुर	165.00
17	अम्बेडकर नगर	218.72
	योग–	3145.03

नलकूपों व लिफ्ट कैनांल के सुदृढीकरण हेतु

क्0सं0	जनपद	धनराशि (लाख में)
1	झाँसी	31.45
2	जालौन	71.55
3	हमीरपुर	80.50
4	बाँदा	76.05
5	उन्नाव	26.63
6	कानपुर नगर	49.80
7	अम्बेडकर नगर	56.15
8	बलरामपुर	54.55
9	गोरखपुर	110.30
10	देवरिया	60.15
11	कुशीनगर	25.70
12	महराजगंज	34.15
13	संतकबीरनगर	56.15
14	मिर्जापुर	51.53
15	इलाहाबाद	116.34
16	फतेहपुर	62.15
17	मऊ	36.85
18	सोनभद्र	00
19	चित्रकूट	00
20	महोबा	00
21	ललितपुर	00
	योग–	1000.00

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-05-नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृत किया गया है। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4- उक्त राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निमयानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

5- स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का होगा। आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्व सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

6- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय ।

7- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

8- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

9- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-: (1)/ 1-11-2016-7(जी)/2015 टी0सी0 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जन संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।

8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।

9- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

10- सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।

12- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ

13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव ।